

 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST &amp; CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009 दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ैक्स Fax:079-27545021</p>	
---	--	---

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी द्वारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क फाईल संख्या

A. File Number : GEXCOM/RTI/APP/229/2021-TECH-

ख मूल आदेश संख्या

B. Order-in-Original No. : 02/ RTI/2020-21

ग पारित करने वाला

: श्री मनोजकुमार शर्मा/ Shri Manojkumar Sharma,

C. Passed by officer

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer  
सहायक आयुक्त Assistant Commissioner (सू-अधि RTI),  
केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
गांधीनगर  
Central GST & Central Excise(H.Q)  
Gandhinagar

घ आदेश / जारी करने का दिनांक

D. Date of Order/Issue : 31.05.2021

ड आवेदक का नाम व पता

: श्री रामरतन रॉय, डेप्युटीजनरल मेनेजर,(क्रेडिट कंट्रोल)  
इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड, जी.के. टॉवर, 19, कैमक स्ट्रीट,  
कोलकाता - पिनकोड: 700017

E. Name & Address of the Applicant

: Shri Ram Ratan Roy,  
Dy.General Manager(Credit Control) ,  
Electrosteel Casting Ltd.,  
G.K.Tower, 19, Camac Street,  
Kolkatta-700017.

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.

यदि कोई व्यक्ति इस मल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री पदाला मोहन राव, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर दूसरी मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है ।

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Padala Mohan Rao, Addl. Commissioner, Central GST & Central Excise, Gandhinagar, 2<sup>nd</sup> floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30(तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश**  
**ORDER UNDER SECTION 7(1) OF THE RIGHT TO INFORMATION**  
**ACT,2005**

श्री रामरतन रॉय, डेप्युटीजनरल मेनेजर,(क्रेडिट कंट्रोल) इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड, जी.के. टॉवर, 19, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता - पिनकोड:-700017. द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र दाखिल किया गया जिसका पंजीकरण संख्या CCEAB/R/E/21/00020 दिनांक 27.03.2021 है, जो की केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय जी.एस.टी क्षेत्र, अहमदाबाद, जी.एस.टी भवन, राजस्व मार्ग, आंबावाड़ी, अहमदाबाद क्षेत्र को प्रेषित किया गया था। उक्त आवेदन पत्र फ़ासं. जीसीसीओ/आर.टी.आई/एपीपी/291/2021/Tech-O/O अहमदाबाद दिनांक 05.04.2021, सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद क्षेत्र से सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), केंद्रीय वस्तु सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई), २००५ की धारा 6(3) के तहत दिनांक 12.04.2021 को प्राप्त हुआ है जिसका उत्तर सीधे आवेदक को भेजना है।

Shri Ram Ratan Roy, Dy.General Manager(Credit Control), Electrosteel Casting Ltd., G.K.Tower, 19, Camac Street, Kolkatta-700017 has filed an online RTI application No. CCEAB/R/E/21/00020 dated. 27.03.2021. The said application was transferred to this office from the Office of the Principal Chief Commissioner, Central GST Zone, Ahmedabad, GST Bhavan Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015. The said application has been received with the letter जीसीसीओ/आर.टी.आई/एपीपी/291/2021-Tech-O/O dated 05.04.2021 of Assistant Commissioner(CPIO), Office of the Principal Chief Commissioner, Ahmedabad Zone on 12.04.2021 as per the provision of Section 6(3) of the RTI Act-2005 for submitting the reply of the application directly to the applicant.

**इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है।**

In this regards, the required information pertaining to H.Q. office under below:-

1. As per available records, the department had accepted CESTAT,s Final Order No.A/447-449/2011/WZB/AHD dated 24.02.2011 as on 10.08.2011.

2. As old records, efforts are being made to trace out the file note sheet.
3. N.A.

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ,  
Central Public Information Officer,  
केवसेक व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर  
CGST & Central Excise, Gandhinagar

सेवा में To,  
श्री रामरतन रॉय, डेपुटीजनरल मेनेजर,(क्रेडिट कंट्रोल) इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड,  
जी.के. टॉवर, 19, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता -पिनकोड:- 700017

प्रतिलिपि:-सहायक/उप आयुक्त एवं केन्द्रीय लोक सूचना का अधिकार, प्रधान मुख्य आयुक्त  
कार्यालय के पत्राक फ़ासं.जीसीसीओ/आर.टी.आई/एपीपी/291/2021-Tech